रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 4, 1975/पौष 14, 1896
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 4, 1975/PAUSA 14, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central ... Govt. of India Library 17

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Border Security (II) Section (G&Q)]

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 4th January 1975

S.O. 5(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Harayana for a period of six months with effect from 8-1-75 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II (G&Q)]

गृह मंत्रालय

[(सीमा सुरक्षा) (II) अनुभाग जी० एण्ड क्यू०]

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1975

सा० नि० 5(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्यवः व्यक्ति की ड्यूटी जो 8-1-75 से 7-7-75 तक छह मास के लिय हरियाणा से संचारत होगा वह सक्रिया ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 6(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Rajasthan for a period of six months with effect from 8-1-75 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II (G&Q)]

सा० नि० 6(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968(1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8-1-75 से 7-7-75 तक छह मास के लिये राजस्थान से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटि होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 7(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in West Bengal for a period of six months with effect from 8-1-75 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II (G&Q)]

सा० नि० 7(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968(1968 का 47)की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8-1-75 से 7-7-75 तक छह मास के लिये वैस्ट बंगाल से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 8(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Bihar for a period of six months with effect from 17-1-75 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II (G&Q)]

सा० नि० 8 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968(1968 का 47)की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 17-1-75 से 16-7-75 तक छह मास के लिये बिहार से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 9(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Delhi for a period of six months with effect from 23-1-75 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II (G&Q)]

सा० नि० 9 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968(1968 का 47)की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसारण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 23-1-75 से 22-7-75 तक छह मास के लिये देहली से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 10(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Kerala for a period of six months with effect from 25-1-75 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II (G&Q)]

सा० नि० 10 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 25–1–75 से 24–7–75 तक छह मास के लिए करला से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 11(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Meghalaya for a period of six months with effect from 31-1-75 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II (G&Q)]

S. HAMID, Jt. Secy.

सा० नि० 11 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 31–1–75 से 30–7–75 तक छह मास के लिये मेघालय से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

एस० हामिद, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975